वर्ष– 2026

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 मैनुअल–17

रेशम निदेशालय , उत्तराखण्ड
की
अन्य उपयोगी सूचनाऐं –
(Other Important information's)

रेशम निदेशालय, उत्तराखण्ड की प्राथमिकताऐं :–

- ❖ शहतूत संपदा में बढ़ोतरी।
- ❖ रेशम कोया उत्पादन में वृद्वि।
- ❖ निजी क्षेत्र धागाकरण इकाईयों का विकास।
- ❖ प्रदेश में रेशम बुनाई के कार्यो का विकास।
- ❖ महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोत्तरी ।
- ❖ गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार तथा विविधीकरण।
- ❖ अन्य विभागों के विकास कार्यकमों से समन्वित करते हुये इस उद्योग का विकास सुनिश्चित करना।

शहतूत उद्यानों के रखरखाव एवं रेशम कीटपालन का वार्षिक कलेण्डर

क्र.सं.	कार्यो का विवरण	अवधि
1	शहतूत पौधों की मिडिल प्रुनिंग, नर्सरी स्थापना एवं गुड़ाई का शेष कार्य, नये कीटपालन क्षेत्रों का चयन तथा रासयनिक एवं गोबर की खाद का उपयोग।	1 जनवरी से 15 जनवरी तक
2	बंसत फसल हेतु कीटपालन उपकरण एवं कीटपालन गृहों का प्रथम चक का विशुद्वीकरण एवं उपकरण सफाई आदि कार्य एवं उद्यानों व शहतूत पौधालयों की प्रथम सिंचाई का कार्य।	1 जनवरी से 31 जनवरी तक
3	द्वितीय एवं तृतीय चक का विशुद्वीकरण कार्य, शहतूत उद्यान एवं पौधालय की सिचांई तथा चाकी कीटपालन की तैयारी, भवनों की पुताई आदि कार्य एवं फील्ड स्तरीय गोष्ठियों का आयोजन का कार्य।	1 फरवरी से 28 फरवरी
4	बंसत फसल का चॉकी कीटपालन एवं चाकी रेशम कीट वितरण।	1 मार्च से 28 फरवरी तक

5	बंसत फसल का चॉकी कीटपालन एवं चॉकी रेशम कीट वितरण।	1 मार्च से 15 मार्च
6	रेशम कोया विपणन कार्य, शहतूत पौधालय की प्रथम निराई एवं सिचांई।	16 मार्च से 5 अप्रैल
7	शहतूत पौधालय की सिचांई का कार्य, उद्यानों से खरपतवारों की सफाई , शहतूत वृक्षारोपण हेतु लाभार्थियों का चयन।	1 मई से 31 मई
8	शहतूत उद्यानों की ट्रिमिंग , शहतूत वृक्षारोपण हेतु तैयारी, गढ्ढों की खुदाई , पौधालय की सिंचाई एवं द्वितीय निराई।	1 जून से 15 जून
9	मानसून फसल हेतु प्रथम चक का विशुद्विकरण कार्य ग्राम स्तर पर शहतूत वृक्षों की प्रुनिंग।	16 जून से 30 जून
10	शहतूत उद्यानों की प्रुनिंग, शहतूत वृक्षारोपण एवं शहतूत नर्सरी की स्थापना , उद्यानों की गुड़ाई व उर्वरकों का उपयोग।	1 जुलाई से 31 जुलाई
11	शहतूत वृक्षारोपण का शेष कार्य एवं द्वितीय चक का विशुद्वीकरण।	1 अगस्त से 15 अगस्त
12	तृतीय चक का विशुद्वीकरण , मानसून फसल हेतु कीटपालन की तैयारी एवं फील्ड स्तरीय गोष्ठियों का आयोजन।	16 अगस्त से 5 सितम्बर
13	मानसून फसल का चाकी कीटपालन।	6 सितम्बर से 20 सितम्बर
14	मानसून फसल का उत्तरावस्था कीटपालन, पौधालय एवं उद्यान की सिंचाई का कार्य।	15 सितम्बर से 5 अक्टूबर
15	पतझड़ फसल की चाकी कीटपालन एवं मानसून फसल का कोया विपणन कार्य।	1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर
16	शहतूत पौधालय की निराई, सिंचाई, पतझड़ फसल का उत्तरावस्था कीटपालन कार्य एवं कोया विपणन का कार्य।	21 अक्टूबर से 10 नवम्बर
17	शहतूत उद्यानों में खरपतरवार की सफाई , उद्यानों में ट्रीमिग / प्रुनिंग , शरदकालीन शहतूत वृक्षारोपण हेतु लाभार्थी का चयन।	1 नवम्बर से 30 नवम्बर
18	शहतूत उद्यानों में ट्रीमिंग/प्रुनिंग का कार्य, शहतूत उद्यानों की गुड़ाई, आवश्कतानुसार सिंचाई, शरदकालीन नर्सरी स्थापना, नये कीटपालन क्षेत्रों का चयन, शरदकालीन वृक्षारोपण	1 दिसम्बर से 31 दिसम्बर

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 मैनुअल–17

रेशम निदेशालय द्वारा सूचना प्राप्त करने की प्रकिया :–

सूचना के लिए अनुरोध निम्न प्रकार करें :–

- ❖ सूचना प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति हिन्दी अथवा अंग्रजी में लिखित रूप में या ई0मेल द्वारा अनुरोध कर सकते हैं।
- ❖ सूचना का आवेदन पत्र रेशम निदेशालय के लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाएगा।
- ❖ यदि कोई अनुरोधकर्ता आवेदन पत्र लिखने में असमर्थ हो तो लोक सूचना अधिकारी सहायता प्रदान करके उसके मौखिक अनुरोध को लिखित रूप में दर्ज करेंगे।
- ❖ आवेदन पत्र में कुछ आवश्यक जानकारी देना जरूरी है जिससे उस पर कार्यवाही करने में सहुलियत / आसानी हो।

आवेदन – पत्र में उल्लेख की जाने वाली बातें निम्नवत् हैं :–

- अनुरोधकर्ता का नाम
- पिता / पति का नाम
- पत्राचार /सम्पर्क का पूरा पता
- इच्छित सूचना का स्पष्ट विवरण
- आवेदन का शुल्क जमा करने का प्रमाण
- गरीबी रेखा से नीचे आय का प्रमाण (यदि कोई हो)
- आवेदन पत्र जमा करने की तिथि
- आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

रेशम निदेशालय द्वारा सूचना प्राप्ति के लिए निर्धारित शुल्क :–

सूचना निर्धारित शुल्क के भुगतान पर ही उपलब्ध कराई जायेगी। तथापि गरीबी रेखा से नीचे के आवेदक द्वारा कोई शुल्क देय नही होगा।

आवेदन शुल्क : –

सूचना के लिए अनुरोध करते समय आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क रू0 10 देय होगा। आवेदन शुल्क दिये बगैर सूचना का अनुरोध स्वीकार नही होगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 मैनुअल–17

आवेदन शुल्क रू0 10 प्रति आवेदन पत्र के अतिरिक्त सूचना प्राप्ति के लिए निर्धारित शुल्क निम्न प्रकार है :–

- सूचना की :–
  1) तैयार की गयी सामग्री अथवा
  2) अभिलेख की छाया प्रति देने पर A4 या A3 साईज के एक पृष्ठ का रू0 2 प्रति पेज
- बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि दिये जाने पर उसकी वास्तविक लागत।
- अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये प्रथम घंटे हेतु कोई शुल्क नही एवं उसके पश्चात् प्रत्येक 15 मिनट अथवा उसके भाग हेतु शुल्क रू0 5.00
- मुद्रित प्रारूप में दी गयी सुचना के लिऐ , ऐसे प्रकाशन के लिए नियम कीमत या ऐसे प्रकाशन से उद्वरणों की फोटो प्रति के लिए प्रति पृष्ठ रू0 2.00 ।
- सैम्पल / मॉडल की दशा में उसकी वास्तविक लागत।

रेशम उद्योग अपनाने हेतु जनसाधारण हेतु सुचनाऐं :–

रेशम उद्योग कृषि आधारित एक सहायक उद्योग है। कृषक अपने कृषि कार्यो के साथ – साथ इस उद्योग को अपनाते हुये आय अर्जित कर सकते है। रेशम उद्योग की निम्न विशिष्टताओं के कारण उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य हेतु यह उद्योग अत्याधिक उपयोगी है :–

- ❖ समस्त आयु व आय वर्ग के सदस्यों हेतु रोजगार का सरलतम साधन।
- ❖ अल्म पूँजी निवेश से अधिक आय अर्जन का साधन।
- ❖ ग्रामीणवासियों का शहरी क्षेत्रों में पलायन रोकने में सहायक।
- ❖ उच्च आय वर्ग की आय को निम्न आय वर्ग में हस्तान्तरण मे सहायक ।
- ❖ पर्वतीय क्षेत्र में संवेदन शील पर्यावरण के संरक्षण – संवर्धन में सहायक।
- ❖ विदेशी मुद्रा अर्जन में सहायक।
- ❖ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार में सहायक।

-X-X-X-X-

वर्ष–2026

सूचना का अधिकार अधिनियम –2005 मैनुअल–17

रेशम निदेशालय, उत्तरखण्ड, प्रेमनगर –देहरादून
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत 5(1) लोक सूचना अधिकारी 5(2) सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं 19(1) विभागीय अपीलीय अधिकारी

स्तर	5(1) लोक सूचना अधिकारी का नाम /पदनाम	5(2) सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम/पदनाम	19 (1) विभगीय अपीलीय अधिकारी का नाम/पदनाम
निदेशालय स्तर	श्री किरनपाल सिह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	श्रीमती शकुन्तला गैरोला, प्रशासनिक अधिकारी	श्री प्रदीप कुमार, प्रभारी निदेशक
हल्द्वानी नैनीताल	श्री अखिलेश प्रसाद, वैयक्तिक सहायक	कु0 त्रिशा, सहायक परिवेक्षक	श्री हेमचन्द, उप निदेशक
हरिद्वार	मो0 उवेश, निरीक्षक	श्रीमती मंजु वर्मा, निरीक्षक	श्री सचिन खन्ना, उप निदेशक
श्रीनगर	श्री राजवीर सिह प्रधान सहायक	श्री देवेश चौधरी, कनिष्ट सहायक	श्री सचिन खन्ना, उप निदेशक
गोपेश्वर	श्री मनोज सिह रावत, प्रशासनिक अधिकारी	श्री रविन्द्र सिह, निरीक्षक	श्री राजीव कुमार, सहायक निदेशक
उधम सिहनगर	श्री भगवत सिह रावत, निरीक्षक	श्री मुकेश भटट, प्रधान सहायक	श्रीमती ममता चन्द, सहायक निदेशक
उत्तरकाशी	श्री विमल कुमार, सहायक निदेशक	श्री पंकज उनियाल निरीक्षक	श्री सचिन खन्ना, उप निदेशक
टिहरी	श्रीमती वन्दना राणा, प्रदर्शक	–	श्री सचिन खन्ना, उप निदेशक
रूद्रप्रयाग	श्री पंकज नौटियाल, निरीक्षक	–	श्री राजीव कुमार, सहायक निदेशक
अल्मोड़ा	श्री राकेश प्रसाद कोठारी वरि0 प्रशासनिक अधिकारी	श्री हेमचन्द ममगाई, वरिष्ठ सहायक	श्री संजय काला, सहायक निदेशक
बागेश्वर	श्री बृजेश रतूडी, निरीक्षक	श्री कमलेश कुमार, प्रदर्शक	श्री संजय काला, सहायक निदेशक
पिथौरागढ़	श्री चन्दन सिह गोबाडी, निरीक्षक	श्री अशोक कुमार, प्रदर्शक	श्री संजय काला, सहायक निदेशक
चम्पावत	श्री जीवन चन्द्र खरकवाल, निरीक्षक	श्री दिवेश भटट, प्रदर्शक	श्री संजय काला, सहायक निदेशक

ह0
निदेशक
रेशम निदेशालय, उत्तराखण्ड
प्रेमनगर–देहरादून